राष्ट्रीय अभिलेखागार

वार्षिक प्रतिवेदन

1991

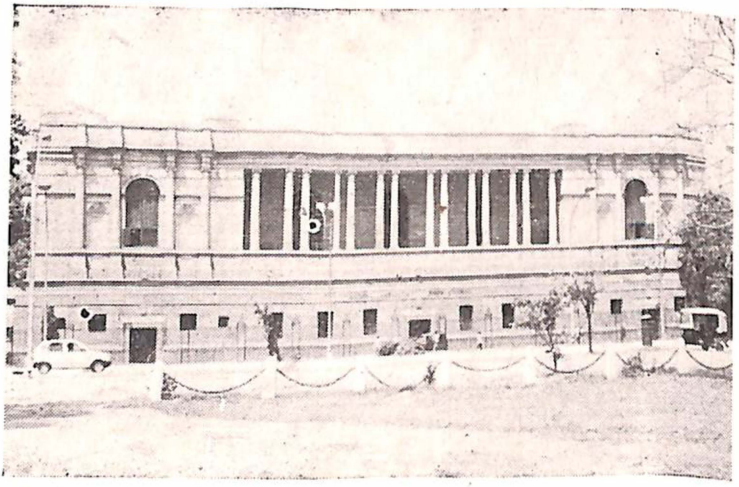

H
913.03
N 213.91 R

प्रकाशक

अभिलेख महानिदेशक

भारत सरकार
नई दिल्ली

H
913.03
N213.91R

INDIAN INSTITUTE OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY SHIMLA

राष्ट्रीय अभिलेखागार

वार्षिक प्रतिवेदन

1991

प्रकाशक
अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार
नई दिल्ली

H
913.03
N 213.91R

G-1827
6-4-95

Library IIAS, Shimla
H 913.03 N 213.91 R
G1827

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह 3 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रीय अभिलेखागार सौध भवन का उद्घाटन करते हुए।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

वार्षिक प्रतिवेदन 1991

विशिष्टतायें

राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध (स्टैक टावर ब्लाक) का उद्घाटन, तथा "हमारी अभिलेखीय निधियां" पर एक प्रदर्शनी एवं 3 सितम्बर, 1991 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा (1) धरती की पुकार (2) राष्ट्रीय अभिलेखागार में गैर सरकारी कागज-पत्रों का संग्रह (3) जंजीरें तथा (4) दस्तावेजों के पुनर्स्थान की निर्देशिका नामक पुस्तकों का विमोचन इस वर्ष की उल्लेखनीय घटनाएं थीं। वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण घटना "अभिलेख एवं सामाजिक परिवर्तन" पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करना था।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा उद्घाटित सौध भवन केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित सात मंजिली इमारत है जिसमें राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को रखने हेतु विशेष स्टील रैकों से युक्त 16000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भण्डारण स्थान का प्रावधान है।

कर्मचारी वर्ग

डा. टी.वी. हरनाथ बाबू और श्री के.एस. तलवार को क्रमशः 10 अप्रैल, 1991 तथा 23 अप्रैल, 1991 से तदर्थ आधार पर अभिलेख उप निदेशक एवं अभिलेख सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जबकि श्रीमती सुनीता कालरा और श्री संजय गर्ग क्रमशः 15 फरवरी तथा 27 अगस्त 1991 को नियमित आधार पर अभिलेख सहायक निदेशक नियुक्त किए गए। निम्नलिखित अभिलेखाधिकारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए: सर्वश्री संजय गर्ग (14 जनवरी,

1991) सैयद फरीद अहमद (1 फवरी, 1991), अरुण कुमार श्रीवास्तव (6 मार्च, 1991) डा. आर. प्रतिहार (5 अप्रैल, 1991), डी.के. पंत, अशोक कपूर और श्रीमती उपा कौल (सभी 31 मई, 1991) श्री जगपाल सिंह (28 जून, 1991) श्रीमती राजुला जैन (11 जुलाई, 1991), सर्वश्री यू. रमेश और जगमोहन जरेडा (दोनों 4 नवम्बर, 1991 को) और श्रीमती मालती शर्मा (18 नवम्बर, 1991)। निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ आधार पर अभिलेखा धिकारी (सामान्य) के रूप में पदोन्नत किया गया :—सर्वश्री वी.एस. राणा, जे.वी. वलानी, डा. महेश नारायण, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्रीमतीध्रुव वाटवानी और श्रीमती स्वर्ण लता धवन (सभी 18 नवम्बर, 1991 को) 1 श्री हिफजुल कवीर 18 नवम्बर, 1991 को तदर्थ आधार पर अभिलेखाधिकारी (ओ.आर.) के रूप में पदोन्नत किए गए। डा. यशोधरा जोशी को 13 मार्च, 1991 को वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त किया गया जबकि श्री वी.एस. मजूमदार को 12 अगस्त, 1991 को नियमित आधार पर सूक्ष्मछायाचित्रकार के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री एन.एस. मणि को 18 नवम्बर, 1991 को तदर्थ आधार पर सूक्ष्मछायाचित्रकार के रूप में पदोन्नत किया गया।

सर्वश्री ए.के. शर्मा, सूक्ष्मछायाचित्रकार और पी.एस.एम. मोईद्दीन अभिलेखाधिकारी जो क्रमशः अपराध एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा केरल राज्य अभिलेखागार, थिरुवन्नतपुरम में प्रतिनियुक्ति पर गए थे, ने क्रमशः 3 और 12 सितम्बर, 1991 को पुनः विभाग में कार्यभार ग्रहण किया। सर्वश्री के.एल. अरोड़ा, अभिलेख उप निदेशक, पी.आर. मलिक, अभिलेख सहायक निदेशक और रूप चन्द, सूक्ष्मछायाचित्रकार क्रमशः 30 नवम्बर, 31 अक्तूबर और 30 जून, 1991 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

31 दिसम्बर, 1991 को विभाग में स्वीकृत कर्मचारियों तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	स्वीकृत	कार्यरत
वर्ग "क" राजपत्रित	23	16
वर्ग "ख" राजपत्रित	68	63
वर्ग "ख" अराजपत्रित	54	39
वर्ग "ग"	260	186
वर्ग "घ"	168	160
	573	464

अभिलेख निदेशक, भारत सरकार के पद को 1 जून, 1990 से अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार के रूप में नया पदनाम प्रदान किया गया।

वर्ष 1991-92 के लिए विभाग का वार्षिक बजट आवंटन 192.60 लाख रुपये (गैर योजनागत) और 200.00 लाख रुपये (योजनागत) था। विभाग की विभिन्न प्लान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष के दौरान 2 वर्ग "क" (राजपत्रित) 11 वर्ग "ख" (राजपत्रित), 7 वर्ग "ख" (अराजपत्रित) और 12 वर्ग "ग" के पद स्वीकृत किए गए।

वित्तीय सहायता की योंजना

(1) पाण्डुलिपियों आदि के परिरक्षण, सूचीकरण, तालिकाबद्ध करने, मूल्यांकन तथा प्रकाशन के लिए स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, विश्व-विद्यालयों (विश्वविद्यालयों के समकक्ष संस्थाओं सहित) और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान समिति की 4 मार्च, और 29 जुलाई, 1991 को अभिलेख महानिदेशक की अध्यक्षता में बैठकें हुई और 21 संगठनों को 12.11 लाख रुपए दिए जाने की सिफारिश की गयी।

(2) अभिलेखीय क्रियाकलापों, सरकारी अभिलेखों के रख-रखाव एवं वैज्ञानिक परिरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अभिलेखीय

भण्डारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान समिति की 4 मार्च और 30 जुलाई, 1991 को अभिलेख महानिदेशक की अध्यक्षता में दो बैठकें सम्पन्न हुई जिनमें राज्य अभिलेखागारों को 21.05 लाख रुपये दिये जाने की सिफारिश की गयी ।

(3) गैर सरकारी अभिलेखों का राष्ट्रीय रजिस्टर योजना के अन्तर्गत अभिलेखों के सर्वेक्षण एवं सूचीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु 6 राज्य अभिलेखागारों/क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समितियों को वितरित करने के लिए 90,000 रुपये की राशि मंजूर की गयी ।

अभिलेख

अवाप्तियां

विभाग के अभिलेखीय संग्रह को निम्नलिखित अधिग्रहणों द्वारा और अधिक समृद्ध किया गया ।

सरकारी अभिलेख

विद्यमान अभिलेख शृंखलाओं की रिक्त कड़ियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित सरकारी अभिलेख अवाप्त किए गए :—

नागर विमानन मंत्रालय (1933–64) की 256 फाइलें, वायु सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (1929–63) की 302 फाइलें, राष्ट्रपति सचिवालय (1890–1947) की 202 फाइलें और मंत्री मंडल सचिवालय (1942–64) की 49 फाइलें ।

नशीली वस्तुओं के व्यापार और सम्बद्ध मामलों से संबंधित भारत सरकार और (क) मारीशस (24 जनवरी, 1990), (ख) यू.एस.ए. (29 मार्च, 1990) और अफगानिस्तान सरकारों (29 अगस्त, 1990) के बीच हुए 3 समझौते भी अवाप्त किए गए । ये समझौते वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए ।

गैर सरकारी कागज-पत्र

गैर सरकारी कागज-पत्रों के संग्रह में निम्नलिखित कागज-पत्रों की वृद्धि कर उसे और अधिक समृद्ध किया गया :—

(क) श्री टी.एफ. देवरकाहन द्वारा सुभाष चन्द्र बोस पर लिखित एक लेख (अंग्रेजी में) सहित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कागज-पत्र (1938-41) की 59 फोटो प्रतियां विदेश मंत्रालय, यू.एस.एस.आर. सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई। इसके अलावा भारत—यू.एस.एस.आर. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 17वीं शव्ताब्दी के दौरान रूसी-भारतीय संबंधों से संबंधित (रूसी में) दस्तावेजों के 220 पृष्ठ प्राप्त हुए।

(ख) ऐतिहासिक दस्तावेज क्रय समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कागज-पत्र मूल्य देकर अधिग्रहित किए गए :—

(1) सरकार संभल, सूबा शाहजहांनाबाद से संबंधित एवं फारसी में लिखित फरमान, परवाना, चखनामा, बैनामा आदि के रूप में (1559-1885 अवधि के) 50 दस्तावेज।

(2) फारसी में 67 दस्तावेज (1675–1926) जिसमें श्रीनगर (कश्मीर) के महल्ला- बाग-ए यूसुफ खान, कुतबलदीनपुरा, आदि से संबंधित इकरारनामा, बैनामा, तकसीमनामा आदि शामिल हैं।

(3) उर्दू में 8 दस्तावेज (1909—24) जिसमें रहननामा और तहसील अकबरपुर, फैजाबाद से संबंधित न्यायालय के आदेश शामिल हैं।

(4) हिन्दी अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली में 19 दस्तावेज (1802—1886) जिसमें वृन्दावन (मथुरा) में स्थित मंदिरों से संबंधित पट्टा, बैनामा, अर्जी आदि शामिल हैं।

(5) खम्बात (खम्बात की खाड़ी) गुजरात से संबंधित गुजराती तथा फारसी में लिखित 2 बैनामा (3 अप्रैल, 1681 तथा 11 जनवरी, 1754) और 1897—1922 के दौरान वस्तुविनिमय पद्धति पर प्रकाश डालते हुए मोदी लिपि में दो बही (1897—1922) भी उपहार स्वरूप प्राप्त की।

इसके अतिरिक्त कु. मनिबेन पटेल की श्री राजेन्द्र कुमार से प्राप्त 166 पृष्ठों की एक डायरी विभाग के लिए माइक्रोफिल्म की गयी। पुस्तकालय में 1,738 पुस्तकों की वृद्धि की गयी। इनमें एल.एम. मिचेल, के.जे. सैम्पसन और सी.एम. वूलगर द्वारा सम्पादित वर्मा के अर्ल माउन्टबेटन के कागज-पत्रों की एक सारांश सूची भी शामिल है।

माइक्रोफिल्म

भारत से संबंधित अभिलेखों एवं गैर सरकारी कागज-पत्रों के माइक्रोफिल्म संग्रह को क्रय एवं विभिन्न देशों एवं संस्थानों के साथ सांस्कृतिक अथवा अन्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त निम्नलिखित माइक्रोफिल्म रोलों के अधिग्रहण द्वारा और अधिक समृद्ध किया गया :—

(क) ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन

वायसराय के निजी सचिव के व्यक्तिगत कागज-पत्रों, सत्ता हस्तान्तरण, वार स्टाफ सीरीज, ब्रिटिश भारत में राजनीतिक एवं संवैधानिक मामलों की तिमाही सर्वेक्षण विभिन्न प्रान्तों आदि से संबंधित राजनीतिक तथा गुप्त ज्ञापन (1833—1951) अभिलेखों के हारटोग एवं ब्लेकेट संग्रह (1919—49, 1951) आदि से संबंधित आर/3/1, एल/पी एण्ड एस/188, एल/पी एण्ड जे/10, एल/पी एण्ड जे/1816 ए एण्ड सी, एल/डब्ल्यू एस शृंखलाओं के 54 रोल।

(ख) ब्रिटिश रिकार्ड आफिस, लन्दन

कैबिनेट पेपर्स (1948-49), कोलोनियल ऑफिस पेपर्स (1701-02, 1752, 1769-71 और 1793—1805) तथा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के कार्यवृत्त एवं ज्ञापन के 7 माइक्रोफिल्म रोल।

(ग) जिनिओलोजिकल सोसाइटी आफ यूटाह यू.एस.ए.

"पांडा रिकार्डस" के 199 रोल जिनमें हरियाणा, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और सिंध (पाकिस्तान) के तीर्थ स्थल रजिस्टर शामिल हैं (जो वहियों के रूप में हैं)।

(घ) अफगानिस्तान से प्राप्त 13 माइक्रोफिल्म रोल जिनमें फारसी में लिखित ऐतिहासिक पाण्डुलिपियां अर्थात् (1) अखवार-ए-जहांगीर, (2) लुब-अत-तावरीख ए-हिन्द, (3) तारीख-ए-औरंगजेब या आलमगीर शामिल हैं।

जांच एवं व्यवस्था

21,918 फाइलों/वाल्यूमों, 2733 पत्रों, 250 वचन पत्रों और 2,338 मानचित्रों की जांच की गयी और उन्हें उचित क्रम में रखा गया। इसके अलावा डा. राजेन्द्र प्रसाद के कागज-पत्रों, गांधी पोलक कागज-पत्र और पी. डी. टण्डन कागज-पत्रों से संबंधित 13,699 वस्तुओं तथा गांधी सावरमती सीरीज के 7,163 पत्रों की जांच की गयी और उन्हें सही क्रम में लगाया गया। इनायत जंग संग्रह के 8,509 दस्तावेजों को भी सुव्यवस्थित किया गया।

संदर्भ माध्यम

अपनी सम्पदा से अनुसंधान संबंधी कार्य को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से विभाग ने अभिलेखों का संदर्भ माध्यम और मिलिट्री विभाग (1849—70) की 17,235 फाइलों की जांच सूची तैयार करने का कार्य जारी रखा। जहां तक गैर सरकारी कागज-पत्रों का संबंध है इसमें डा. राजेन्द्र प्रसाद, पी.डी. टण्डन, गांधी पोलक कागज-पत्र से संबंधित कुल 10,831 मदों की विषय सूची और डा. राजेन्द्र प्रसाद और मुरलीधर कागज-पत्रों की 1,695 मदों की जांच सूची का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा इनायत जंग संग्रह के 2,430 दस्तावेजों की विवरणात्मक सूची तैयार की गयी।

रेजिडेंसी/पोलिटिकल एजेंसियों से संबंधित राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों की निर्देशिका भाग 10 के संकलन का कार्य जारी रहा। निम्नलिखित रेजिडेंसियों/पोलिटिकल एजेंसियों और क्षेत्रीय आयुक्तों/क्षेत्रीय आयुक्तों एवं सलाहकारों/स्टेट काउन्सिलरों/विशेष कार्य अधिकारियों आदि के संगठनात्मक ब्यौरों से संबंधित मसौदे तैयार किए गए—बाघैलखण्ड पोलिटिकल एजेंसी (1805—1936),

बुन्देलखण्ड एजेंसी (1805–1949), भोपाल पोलिटिकल एजेंसी (1802–1947), भोपावर पोलिटिकल एजेंसी (1801–1934), सेन्ट्रल इण्डिया एजेंसी (1804–1947), छत्तीसगढ़ स्टेट्स एजेंसी (1901–1947), ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी (1933–1947) जयपुर एजेंसी/रेजिडेंसी (1818-1952), कलात पोलिटिकल एजेंसी (1861–1873) मद्रास स्टेट्स एजेंसी/रेजिडेंसी (1817–1947) मालवा एवं सदर्न एजेंसी (1815–1947) मेवाड एवं सदर्न राजपूताना स्टेट्स एजेंसी (1826–1947) राजपूताना स्टेट्स एजेंसी/रेजिडेंसी (1805–1954), सिक्किम पोलिटिकल एजेंसी (1903–1937), पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स एजेंसी/रेजिडेंसी (1805–1951), पंजाब हिल स्टेट एजेंसी/रेजिडेंसी (1815–1947) ट्रावनकोर एवं कोचीन एजेंसी/रेजिडेंसी (1759–1922), ग्वालियर रेजिडेंसी (1781–1948), इन्दौर रेजिडेंसी (1818–1916) और कश्मीर रेजिडेंसी (1891–1950)।

अनुसंधान सेवायें

अनुसंधान कक्ष

विभाग के अनुसंधान कक्ष को शोधकर्ताओं के प्रयोगार्थ सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक और रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर अन्य अवकाश दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहा। आलोच्य अवधि में शोधकर्ताओं ने लगभग 8,915 बार इसका उपयोग किया। 379 नये शोधकर्ताओं को नामित किया गया जिनमें निम्नलिखित देशों के 39 शोधकर्ता शामिल हैं: बंगला देश. कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, जोर्डन, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम एवं यू.एस.ए.। उन्हें सरकारी अभिलेखों से 41,266 फाइलें, 1,011 मानचित्र/संस्मरण, 886 गैर सरकारी कागज-पत्र और 33,861 पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें और मुद्रित रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह "अभिलेख सप्ताह" समारोह के अवसर पर 3 दिसंबर, 1991 को राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रकाशनों का विमोचन करते हुए। डॉ. आर. के. परती, अभिलेख महानिदेशक (दाएं) और श्री भास्कर घोष, सचिव संस्कृति विभाग (बीच में) उनके साथ दीख रहे हैं।

सशुल्क सूचना सेवा

विभाग ने 71 व्यक्तियों एवं संस्थाओं की ओर से मांग करने पर निर्धारित फीस प्राप्त कर सरकारी अभिलेखों, गैर सरकारी कागज-पत्रों एवं प्रकाशित सामग्री में से तलाश करके उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराईं। इस संबंध में किए गए कार्य के विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 एवं 1-क पर किया गया है।

प्रकाशन

वार्षिक प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अभिलेखागार का वार्षिक प्रतिवेदन, 1989 (हिन्दी) तथा एन्युअल रिपोर्ट आफ नेशनल आर्काइव्स, 1990 (अंग्रेजी) का प्रकाशन किया गया।

दि इंडियन आर्काइव्ज

वाल्यूम 3.6 सं. 2 (जुलाई–दिसम्बर, 1987), वाल्यूम 37, सं. 1 (जनवरी–जून, 1988) तथा वाल्यूम 37 सं. 2 (जुलाई–दिसम्बर, 1988) प्रकाशित किए गए।

गैर सरकारी अभिलेखों का राष्ट्रीय रजिस्टर वाल्यूम 17

इस वाल्यूम में भगवान जगन्नाथ मन्दिर, पुरी, उड़ीसा में उपलब्ध दस्तावेजों की विवरणात्मक सूचियां निहित हैं। इनका गैर सरकारी अभिलेखों के राष्ट्रीय रजिस्टर, भुवनेश्वर के स्टेट सेल द्वारा सर्वेक्षण एवं सूचीकरण किया गया था।

अनुसंधान संबंधी शोध निबंध एवं शोध प्रबंध बुलेटिन वाल्यूम 15

इस वाल्यूम में उत्तर मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर किए गए अनुसंधान कार्य

के संबंध में सूचना निहित है। इस विषय में 1987-88 की अवधि से संबंधित वे आंकड़ों जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्राप्त हुए थे, संकलित एवं सम्पादित करके प्रस्तुत वाल्यूम में उपलब्ध कराए गए हैं।

अवाप्त पाण्डुलिपियों की तालिका

इस तालिका में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा क्रय अथवा उपहार स्वरूप अवाप्त 189 पाण्डुलिपियों के संबंध में सूचना निहित है।

जंजीरे (उर्दू में)

इस पुस्तक में राज द्वारा प्रतिबंधित उर्दू पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, पुस्तकों आदि से चयित 23 लघु कथाएं निहित हैं। जिन प्रमुख लेखकों की कहानियां इसमें शामिल की गई हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—प्रेम चन्द, डा. रशीद जहां, गुलाम अब्बास, सुदर्शन, शहीद लतीफ एवं देवेन्द्र सत्यार्थी।

धरती की पुकार (हिंदी में)

इस प्रकाशन में राज द्वारा प्रतिबंधित प्रकाशनों से चयित देशभक्ति के गीत एवं कविताएं निहित हैं। इस पुस्तक में राम दास गौड़, आर.एस. दास त्रिवेदी, पारस नाथ द्विवेदी, पंडित वेनी माधव पन्त, पोखपाल सिंह वर्मा और कल्याण कुमार जैन "शशी" जैसे प्रमुख लेखकों के 141 गीत एवं कविताएं शामिल की गयी हैं।

दस्तावेजों के पुनरुद्धारा की निर्देशिका

राष्ट्रीय अभिलेखागार में गैर सरकारी कागज-पत्रों का संग्रह

अभिलेखागार एवं पुस्तकालय के लिए माइक्रोफिल्म

रैप्रोग्राफी से संबंधित चयित साहित्य की ग्रंथसूची

प्रकाशनाधीन कार्य

अर्ध वार्षिक पत्रिका दि इण्डियन आर्काइव्ज का वाल्यूम 38, सं. 1 (जनवरी–जून, 1989) मुद्रण हेतु मुद्रणालय में है।

बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधित **राजस्व मानचित्रों की तालिका का** वाल्यूम 1 (1871–1888) को पूरा किया जा चुका है। **मूल रसीदों और विद्रोह संबंधी कागज–पत्रों में पायी गयी मुगल मोहरों की तालिका** को स्टेंसिल काटने एवं रोनियों के लिए तैयार कर दिया गया है। **फारसी पत्राचार की विवरणात्मक सूची के वाल्यूम 3 तथा 4** का कार्य प्रगति पर है। **राष्ट्रीय अभिलेखागार, भोपाल में संग्रहीत विद्रोह संबंधी कागज-पत्रों की विवरणात्मक सूची** के वाल्यूम 6 के सम्पादन का कार्य पूरा हो चुका है। **फारसी के विविध दस्तावेजों के कलैण्डर के प्रारूप वाल्यूम** की जांच पड़ताल के कार्य में और अधिक प्रगति हुई।

एशियाई इतिहास के स्रोतों की निर्देशिका, वाल्यूम 3.2

इस वाल्यूम से संबंधित कार्य जारी है और निम्नलिखित मंत्रालयों के अभिलेखों के प्रारूप तैयार किए गए :–(1) सामुदायिक विकास एवं सहकारिता, (2) रक्षा, (3) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामले, (4) विधि, (5) इस्पात, खान एवं ईंधन (6) स्वास्थ्य और (7) परिवहन एवं संचार। इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभाग के पुस्तकालय में उपलब्ध गैर सरकारी कागज-पत्र से संबंधित 2 अध्यायों को अंतिम रूप दिया गया।

इस श्रृंखला के अन्य वाल्यूमों अर्थात् वाल्यूम 3.3 से 3.6 तक वं कार्य में नियमित प्रगति हुई।

स्वतंत्रता की ओर

विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभिन्न अभिलेखीय भण्डारों तथा अपने संरक्षण में रखे सरकारी अभिलेखों, गैर सरकारी कागज-पत्रों, और अभिलेखों की

माइक्रोफिल्म प्रतियों की विभिन्न शृंखलाओं से "स्वतंत्रता की ओर परियोजना" से सम्बद्ध सामग्री को एकत्रित करने का कार्य जारी रखा। कुल मिलाकर इस सामग्री के (1939–47) 2,21,621 पृष्ठों/उद्भासनों की जांच की गई और निम्नलिखित के 13,350 पृष्ठों/उद्भासनों का चयन किया गया :—क्राउन रिप्रीजेन्टेटिव रिकार्डस (1940–42) पैरामाउन्ट्सी रिकार्डस (1939–47), इण्डियन नेशनल आर्मी ट्रायल पेपर्स (1945-46), पुलिस उपायुक्त का कार्यालय, विशेष शाखा, बंगाल सरकार (1939–47), लिनलिथगो संग्रह (1939–43), वी.डी. चतुर्वेदी कागज पत्र (1943–47), सी. राजगोपालाचारी कागज पत्र (1943–47), पी.एस. सिवास्वामी अय्यर कागज पत्र (1943), पी.डी. टण्डन कागज पत्र (1944–47), और समाचार पत्र डेली वर्कर (1939–47)।

इसके अलावा अभिलेखों/माइक्रोफिल्मों से चयित सामग्री के 32-238 पृष्ठों को इस परियोजना के प्रस्तावित वाल्यूमों में प्रयोग के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को अग्रेषित किया गया।

अभिलेख प्रबंध

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में अभिलेख प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने के दृष्टिकोण से विभाग ने अभिलेखों का मूल्यांकन करने, कार्यगत स्वरूप के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच करने, विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण करने तथा अभिलेख प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देने संबंधी अपनी कार्यवाहियां जारी रखीं।

अभिलेख नीति संकल्प कार्यान्वयन

अभिलेख नीति संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेख महानिदेशक की वर्ष 1989–90 की 17वीं रिपोर्ट भारत

सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में वितरित की गयी । इसके अलावा वर्ष 1990–91 की 18वीं रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित कर संस्कृति विभाग को अनुमोदनार्थ भेजी गयी।

अभिलेखों का मूल्यांकन

भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों की 1,39,117 फाइलों का मूल्यांकन किया गया : नई दिल्ली स्थित शहरी विकास मंत्रालय, गृह विभाग, पुनर्वास प्रभाग (गृह मंत्रालय), मंत्रिमंडल सचिवालय, भूमि एवं विकास कार्यालय (शहरी विकास मंत्रालय), महासर्वेक्षक का कार्यालय और इसका निदेशालय, देहरादून और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास। (विस्तृत विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 तथा 1-क देखें) इनमें से 103. 580 फाईलों को रखने तथा 35,537 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की गयी। परिणामस्वरूप लगभग 175. 5 लिनियर मीटर शेल्फ स्थान की तथा 35,537 रुपये प्रति वर्ष के खर्च की बचत हुई।

अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची की जाँच

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संकलित मूल स्वरूप के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच की गयी और अभिकरणों का मौके पर अध्ययन करने तथा संबंधित अधिकारियों के साथ विचारविमर्श करने के पश्चात् उन्हें अंतिम रूप दिया गया :—रक्षा मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विधि विभाग, विधायी विभाग, विस्तार निदेशालय (कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,) भारत सरकार मुद्रणालय, (मिन्टो रोड एवं मायापुरी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, तकनीकी विकास महानिदेशालय, (सभी नई दिल्ली में स्थित), महासर्वेक्षक का कार्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भूगणितीय एवं अनुसंधान

2965 NAI/92—2

शाखा निदेशालय, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण का उत्तर क्षेत्रीय निदेशालय (सभी देहरादून में स्थित) भारतीय सर्वेक्षण का उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय (चण्डीगढ) केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (मद्रास) भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, (कलकत्ता), नमक आयुक्त का कार्यालय (जयपुर) और क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र (सूरतगढ़)। अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच सहित अध्ययन रिपोर्ट भी उन्हें कार्यान्वयन हेतु भेजी गयी। इसके अलावा 7 मंत्रालयों/विभागों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की जांच करने के लिए मौके पर अध्ययन किया गया।

अभिलेखों का निरीक्षण

नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्रम मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आर्थिक विभाग, शिक्षा विभाग, व्यय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपूर्ति विभाग, दूर संचार विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, मुद्रण निदेशालय, रेलवे बोर्ड, मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक का कार्यालय, गृह मंत्रालय का पुनर्वास प्रभाग एवं बन्दोबस्त स्कंध, राष्ट्रपति सचिवालय और परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई के अभिलेख कक्षों का वार्षिक निरीक्षण किया गया और अभिलेखों के उचित संधारण एवं सुरक्षा के संबंध में मौके पर सलाह दी गयी।

परामर्श कार्य

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, बम्बई को अभिलेख प्रबंध संबंधी समस्याओं एवं अन्य अनुषांगिक मामलों में जिनमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, परामर्श सेवायें प्रदान की गयी।

विधायी विभाग के परामर्श से "सरकारी अभिलेखों" के संबंध में एक बिल का प्रारूप तैयार संस्कृति विभाग द्वारा विधि मंत्रालय के विचार जानने हेतु भेजा गया।

रेप्रोग्राफिक सेवायें

सुरक्षा माइक्रोफिल्मिंग के एक अंश के रूप में होम डिपार्टमेंट (पब्लिक ब्रांच) 1849–1857) तथा फारेन डिपार्टमेंट (पोलिटिकल ब्रांच 1853–55) के अभिलेखों की 1,68,323 उद्भासन तैयार किए गए। इण्डियन आफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्डस, लन्दन के साथ विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने होम डिपार्टमेंट (पोलिटिकल ब्रांच 192 30) के माइक्रोफिल्म के 17,603 उद्भासन बनाए। विभाग ने अंग्रेजी समाचार पत्रों के माइक्रोफिल्म के 3,093 राष्ट्रपति सचिवालय के माइक्रोफिल्म के 23,735 और विभिन्न विभागों के अभिलेखों से 3,464 उद्भासन शोधकर्ताओं के लिए तैयार किए गए। इसके अलावा रेप्रोग्राफी स्कंध ने 7,073 मीटर पोजिटिव प्रिंट 1,298 परिवर्धित प्रिंट 1,21,340 जिरोक्स प्रतियां तथा अभिलेखों के निगेटिव और पोजिटिव दोनों माइक्रोफिल्मों के 386 रोल तैयार किए।

ग्यारह बाहरी अभिकरणों ने विभाग से रेप्रोग्राफी के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सूचना एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया (कृपया परिशिष्ट–3 देखें)।

संरक्षण

निम्नलिखित आंकड़े वर्ष के दौरान संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य के परिमाण को दर्शाते हैं:–पटलीकरण 55,225 शीट, मरम्मत 32,0404 शीट, रक्षण पट्टी 34,594 शीट, मुढाई 304 मानचित्र एवं छायाचित्र, सिलाई 732 वाल्यूम, 564 पुस्तकें और 3,192 विविध वस्तुएं, जिल्दसाजी 717 वाल्यूम, 569 पुस्तकें और 4883 विवि वस्तुएं; 1,382 पुस्तकों, वाल्यूमों; बण्डलों आदि का वायु प्रशालन तथा लेटर प्रोजर्वेटिव मिक्चर से 10,005 वाल्यूमों का उपजार।

संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला

संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला ने उपयुक्त स्वदेशी परिरक्षी सामग्री एवं उपकरण विकसित करने के दृष्टिकोण से अपने प्रयोग जारी रखे। यह प्रयोगशाला अभिलेखों के टिशू मरम्मत में प्रयुक्त होनेवाले सेल्यूलोस एसीटेट पाउडर उपयुक्त नुस्खा तैयार करने में सफल रही। कई बार प्रयोग करने के पश्चात् प्राप्त इस नुस्खे के परिणाम संतोषजनक पाए गए। आशा है कि इस तकनीक के व्यापक रूप से प्रयुक्त होने पर सेल्यूलोस एसीटेट फाइल के आयात में विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

दस्तावेजों की मरम्मत में प्रयुक्त होने वाले पेन्टाक्लोरिफिनेट की 0.3% मात्रा से युक्त विशेष मैदा लेई पर किए गए प्रयोगों के परिणाम संतोषजनक पाए गए। कीडे मकोडों एवं कागज पर बढ़ते तापमान के प्रभावों की जांच करने की दृष्टि से नव विकसित एवं तापस्थायी यंत्र द्वारा नियंत्रित सुवाह्य निर्मित प्रधूमन चेम्बर पर प्रयोग किए जा रहे हैं।

विभाग ने विभिन्न फर्मों के सहयोग से उच्च किस्म के टिशू पेपर को विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

विभाग ने स्टैक एरिया के प्रधूमन के लिए एक सुवाह्य फोगिंग मशीन का क्रय किया।

43 व्यक्तियों/संस्थाओं को अभिलेखों की मरम्मत एवं पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सलाह सूचना प्रदान की गयी। (विस्तृत विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)।

अभिलेखीय अध्ययन पीठ

अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने व्यावसायिक एवं उप-व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखीय विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा।

वर्ष के दौरान पीठ द्वारा चलाए गए विभिन्न पाठ्यक्रम निम्नानुसार थे :—

1990–91 का डिप्लोमा पाठ्यक्रम का सत्र 3 सितम्बर, 1990 को आरम्भ हुआ जिसमें 11 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये थे–बिहार, दिल्ली और केरल प्रत्येक राज्य अभिलेखागार से एक-एक नामांकित, 1 प्राइवेट अभ्यर्थी और 7 विदेशी प्रशिक्षार्थी (3 मलेशिया, 2 कीनिया, श्रीलंका और यूगाण्डा प्रत्येक से एक एक) पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में प्रशिक्षार्थियों को पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य अभिलेखागार के अध्ययन दौरे पर ले जाया गया। दस्तावेजी विरासत का परिरक्षी संरक्षण, नयी अभिलेखीय सामग्री की समस्याएं जैसे प्रकाशीय तकनी, फोटा आदि, संगठनात्मक प्रबंध और सूचना सेवा की भूमिका अभिलेखागारों में रेप्रोग्राफी आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षार्थियों के लाभ हेतु प्रमुख व्यक्तियों द्वारा तेरह विस्तार व्याख्यान दिए गए। सभी प्रशिक्षार्थियों ने इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। [कृपया परिशिष्ट 5 देखें]

अभिलेखीय अध्ययन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (1991-92)

इस पाठ्यक्रम का 1991-92 का सत्र 5 सितम्बर, 1991 को प्रारम्भ हुआ जिसमें 18 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 4 प्रायोजित अभ्यर्थी थे (अरूणाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार, नागालैण्ड राज्य अभिलेखागार, मिजोरम राज्य अभिलेखागार और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय प्रत्येक से एक-एक) (9 विदेशी प्रशिक्षार्थी) (4 मलेशिया से, 2 यूगाण्डा से और तंजानिया, मलावी तथा बंगला देश प्रत्येक से एक-एक) और 5 प्राइवेट अभ्यर्थी।

अल्पावधि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

इस वर्ष के दौरान व्यावसायिकों/उप व्यावसायिकों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :—

(1) अभिलेखीय प्रशासन में 11वां पाठ्यक्रम (4 (फरवरी—29 मार्च, 1991) जिसमें 6 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

(2) अभिलेख प्रबंध में 33वां तथा 34वां पाठ्यक्रम (6–31 मई, 1991 और 2–27 दिसम्बर, 1991) जिसमें क्रमश 6 और 7 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

(3) रेप्रोग्राफी में 23वां पाठ्यक्रम (1 अप्रैल—23 मई, 1991) जिसमें 3 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

(4) पुस्तकों, पाण्डुलिपियों एवं अभिलेखों की देखभाल एवं संरक्षण में 24वां पाठ्यक्रम (8 जुलाई—30 अगस्त, 1991) जिसमें 7 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया (सभी प्रायोजित व्यावसायिकों के लिए)।

(5) रेप्रोग्राफी में 24वां पाठ्यक्रम (12 सितम्बर—6 नवम्बर, 1991) जिसमें 4 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। प्रायोजित व्यावसायिक एवं प्राइवेट दोनों अभ्यर्थियों के लिए।

(6) पुस्तकों, पाण्डुलिपियों एवं अभिलेखों की देखभाल एवं संरक्षण में 25वां पाठ्यक्रम (11 नवम्बर, 1991—3 जनवरी, 1992) जिसमें 8 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। (प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए) और

(7) "अभिलेखों की परिचर्या एवं प्रतिसंस्कार" में 33वां एवं 34वां पाठ्यक्रम (1 मई—25 जून, 1991 और 16 सितम्बर—8 नवम्बर, 1991) जिसमें क्रमशः 6 और 3 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। (प्रायोजित उप व्यावसायिकों के लिए) (कृपया परिशिष्ट 5–क से 5–ञ देखें)।

इसके अलावा पाण्डुलिपियों की मरम्मत एवं संरक्षण के क्षेत्र में मठ के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान

करने के प्रयोजन से अधिकारियों के एक दल को ताइवान मठ में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया।

व्याख्यान

डा० राजेश कुमार परती, अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार ने 14 अप्रैल, 21 अगस्त और 12 सितम्बर, 1991 को "अभिलेख प्रबंध एवं परिरक्षण" के संबंध में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (स प्र प्र स) के 54 प्रशिक्षार्थियों को व्याख्यान दिया। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित अधिकारियों ने भी व्याख्यान दिए—श्री एच.डी. सिंह ने "राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यकलाप एवं गतिविधियां" पर (17 जून और 14 अक्तूबर, 1991 (डा० एस. सेन गुप्ता ने "अभिलेख कक्ष का फैलाव एवं अभिलेख परिरक्षण" पर (7 मार्च, 1991) श्री के.एस. तलवार ने "अभिलेखों का संरक्षण एवं अधिग्रहण पर, श्री एस.के. खन्ना ने "अभिलेख नीति संकल्प एवं इसका महत्व" राष्ट्रीय अभिलेखागार की आवश्यकता एवं कार्यवाहियां तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया पर दोनों (5 जून, 1991 को) अपराध एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रशिक्षार्थियों को श्री अजित डे ने "फोटोग्राफी, उपकरण, सामग्री एवं प्रक्रिया" पर दो व्याख्यान (12 अप्रैल और 12 नवम्बर, 1991) और श्री सी.एल. प्रजापति ने "पुराने दस्तावेजों के परिरक्षण तथा भविष्य में दस्तावेजों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन" का अनुमान लगाने की प्रक्रिया पर एक व्याख्यान दिए (12 अप्रैल, 1991)।

प्रदर्शनियां एवं अभिलेख सप्ताह समारोह

वर्ष के दौरान विभाग ने दो प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इनमें से प्रथम "अभिलेख एवं सामाजिक परिवर्तन" का आयोजन विभाग के शताब्दी समारोह के एक अंश के रूप में किया गया और यह जनसाधारण के लिए 4 अप्रैल से 15 मई, 1991 तक खुली रही (विभाग के अभिलेख-सम्पदा में से चयनित मूल दस्तावेजों एवं समकालीन छाया चित्रों पर आधारित इस प्रदर्शनी ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न चरणों एवं पहलुओं तथा पिछली दो शताब्दियों में भारतीय समाज में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डाला।

'हमारी अभिलेखीय निधियां' नामक दूसरी प्रदर्शनी अभिलेख सप्ताह समारोह के अवसर पर लगाई गयी। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 3 दिसम्बर, 1991 को उद्घाटित यह प्रदर्शनी जनसाधारण के लिए 5 जनवरी, 1992 तक खुली रही। इस प्रदर्शनी की विशिष्ट विशेषता यह थी कि इसमें राज्य अभिलेखागारों ने अपने संरक्षण में रखे उत्तम दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाने में राष्ट्रीय अभिलेखागार का साथ दिया। इस प्रदर्शनी में लोक रूचि के अभिलेख प्रमुख व्यक्तियों के निजी कागज पत्र, दुर्लभ पुस्तकें, प्राचीन भाषाओं के समृद्ध अभिलेख संग्रह सम्मिलित थे।

इन दोनों प्रदर्शनियों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा देश-विदेश के विभिन्न भागों के विशाल दर्शकों को आकर्षित किया। इनमें विद्वान, विधायक, राजनयिक, पत्रकार, कला आलोचक और व्यापक संख्या में विद्यार्थीगण शामिल थे। जनता में अभिलेखीय जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से एक परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दर्शकों को अभिलेख कक्ष का एक खण्ड तथा परिरक्षण की विभिन्न पद्धतियां दिखाई गयीं और फोटो प्रलेखन का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा दर्शकों के लाभार्थ "अभिलेखा-

राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित "अभिलेख एवं सामाजिक परिवर्तन" नामक प्रदर्शनी के निरीक्षण के दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल श्री मारकण्डेय सिंह को एक चित्र का परिचय देते हुए डॉ. आर. के. परती, अभिलेख महानिदेशक ।

गारों और शैक्षिक संस्थाओं" से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।

दर्शक

327 व्यक्तियों ने विभाग का दौरा किया। इनमें से प्रमुख थी श्रीमती अंगेलाइन काम्बा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख परिषद और निदेशक, जिम्बाब्वे राष्ट्रीय अभिलेखागार श्रीमती जे.एस. ली और श्रीमती वाई.एस. किम, विदेश मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के अभिलेख प्रभाग के क्रमशः निदेशक एवं सहायक निदेशक, श्री मेगनस जेवर, प्रशासन अधिकारी, स्वीडन राष्ट्रीय अभिलेखागार, डा० कटालिन केसे, लोनार्ड विश्वविद्यालय, हंगरी और श्री ए. महाजन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

सिनेमा विजन इण्डिया, नई दिल्ली और जन संचार केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अभिलेखागार पर वृत्त चित्र बनाने के लिए भी सहायता प्रदान की गयी जिसे बाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रमशः "सुरभि" और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत सरकार और चेकोस्लोवाकिया सरकार (1990-92) जाम्बिया सरकार (1991-92) हंगरी, और तंजानिया संयुक्त गणराज्य सरकारों (1991—93) के बीच हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में अभिलेखागार से संबंधित मदों को शामिल किया गया।

कम्प्यूटरीकरण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने से संबंधित विभाग के प्रस्ताव को संस्कृति विभाग ने अनुमोदित किया और इसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसने इसे तकनीकी दृष्टि से बाधा रहित बनाने हेतु इलैक्ट्रानिकी विभाग को अग्रेषित कर दिया। तत्पश्चात् इलैक्ट्रानिकी विभाग ने कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपो-

रैशन लि. को कम्प्यूटर के क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी नवीकरण को शामिल किए जाने की दृष्टि से संभावयता रिपोर्ट को संशोधित किए जाने का सुझाव दिया। इस संशोधन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बैठकें और सम्मेलन

(बैठकें) अन्तर्राष्ट्रीय

24 से 28 नवम्बर, 1991 तक गोवा (पणजी) में स्वारबिका की 15वीं एक्जीक्यूटीव बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भारत को स्वारबिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। परिणामस्वरूप डा. आर.के. परती, अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठापूर्ण पद को ग्रहण किया।

बैठकें (राष्ट्रीय)

डा. आर.के. परती, अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख बैठकों में भाग लिया :—

(1) भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 11 जनवरी, 1991 को आयोजित लाला लाजपतराय की 125वीं जन्म शताब्दी समारोह के लिए प्रथम राष्ट्रीय समिति की बैठक।

(2) नई दिल्ली में 18 मार्च, 1991 को आयोजित कला, संरक्षण एवं संग्रहालय शास्त्र इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान प्रबंध बोर्ड की बैठक।

(3) नई दिल्ली में 21 जनवरी, 1991 को मानव इतिहास हेतु यूनेस्को ब्यूरो की गोलमेज।

(4) डा० बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में 5 अप्रैल, 1991 को आयोजित बैठक।

(5) वृन्दावन अनुसंधान संस्थान से संबंधित विभिन्न युद्ध मसलों पर चर्चा करने के लिए 22 अगस्त,

1991 को अपर सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक।

इसके अलावा अभिलेख महानिदेशक ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अभिलेख प्रबंध समस्या पर चर्चा करने के लिए क्रमशः 2 अप्रैल और 18 जुलाई, 1991 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित मंत्रालयों/विभागों के संगठन एवं पद्धति अधिकारियों की छठी एवं सातवीं तिमाही बैठकों की अध्यक्षता की।

श्री एस. सरकार, अभिलेख उप निदेशक ने 6 अप्रैल, 1991 को वृन्दावन अनुसंधान संस्थान की प्रबंध परिषद की बैठक में भाग लिया। श्री एच.डी. सिंह, अभिलेख उप-निदेशक ने अभिलेख प्रबंध समस्या पर चर्चा करने के लिए 1 नवम्बर, 1991 को मंत्रालयों के संगठन एवं पद्धति अधिकारियों की 8वीं तिमाही बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने (1) 28 अगस्त, 1991 को वृन्दावन अनुसंधान संस्थान की प्रबंध परिषद, (2) विभिन्न विषयों में प्रलेखीकरण के क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए 30 अक्तूबर, 1991 को संगीत नाटक अकादमी की बैठक तथा 14 नवम्बर, 1991 को स्टेट नेमींग अथोरिटी, दिल्ली प्रशासन की 23वीं बैठक में भी भाग लिया। डा० एस. सेनगुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी ने 8 अगस्त, 1991 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में स्वतन्त्रता की ओर परियोजना की सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों ने इम्फाल में मणिपुर राज्य अभिलेखागार के अभिलेख सप्ताह समारोह तथा 26—29 दिसम्बर, 1991 को कुरूक्षेत्र में आयोजित एस. एल. आई. सो. के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया जहां प्रतिनियुक्ति संबंधित अधिकारी ने "भारत में अभिलेख पुस्तकालयों में सूचना प्रबंध" विषय पर एक कागज पत्र प्रस्तुत किया।

श्री जे. वी. वलानी, अभिलेखाधिकारी को 23 से 27 अप्रैल, 1991 तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अभिलेखागार के संबंध में आयोजित सार्क सेमिनार में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

हिन्दी अनुभाग

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकों में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गयी। हमेशा की तरह राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 1991-92 की प्रतियां को विभाग के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों में परिचालित की गयी और इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक मार्ग निर्देश और अनुदेश दिए गए। 14 सितम्बर, 1991 को हिन्दी दिवस भी मनाया गया।

हिन्दी अनुभाग ने अंग्रेजी से हिन्दी के सरकारी पत्राचार के सामान्य अनुवाद के अलावा (1) अभिलेख नीति संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेख महानिदेशक की 18वीं रिपोर्ट, (2) राष्ट्रीय अभिलेखागार का वार्षिक प्रतिवेदन 1990 और (3) "हमारी अभिलेखीय निधियां" तथा "अभिलेखागार एवं शिक्षण संस्थायें" नामक प्रदर्शनियों में प्रदर्शित दस्तावेजों एवं छायाचित्रों के कैप्शनों का अनुवाद किया। "अभिलेखागार एवं शिक्षण संस्थायें" नामक प्रदर्शनी "परिक्रमा कार्यक्रम" के अन्तर्गत आयोजित की गई।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

अभिलेखों की 30,045 फाइलों, बण्डलों, वाल्यूमों की जांच की गयी और उन्हें सुव्यवस्थित किया गया। 11,995 फाइलों (1879—1930) की विषय सूची तैयार की गई, 42 शोधकर्ताओं को अनुसंधान सुविधा उपलब्ध करायी गयी और निजी संस्थाओं/व्यक्तियों से प्राप्त अभिलेखों के संबंध में 4 पूछताछ पर कार्यवाही की गयी।

परिरक्षण एकक ने दस्तावेजों की 25,466 शीटों की टीशू पेपर द्वारा 379 शीटों की साल्वेन्ट लेमिनेशन द्वारा तथा 6,345 शीटों की मशीन लेमिनेशन द्वारा मरम्मत की गयी। जबकि 1,244 फाइलों तथा 5257 शीटों की सिलाई की, 32,441 शीटों पर रक्षणपट्टी लगाई, 482 वाल्यूमों/रजिस्टरों की जिल्दसाजी की और 975 वाल्यूमों/वण्डलों का प्रधूमन किया।

अभिलेख सप्ताह समारोह (30 अक्तूबर—5 नवम्बर, 1991) के दौरान "भारत में शिक्षा का विकास" नामक प्रदर्शनी आयोजित की गयी।

अभिलेख केन्द्र, जयपुर

अभिलेख केन्द्र, जयपुर में स्थित केन्द्र सरकार के 28 कार्यालयों को अभिलेख प्रबंध के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आवश्यक परामर्श प्रदान किया। जीवन बीमा निगम, बम्बई को अपना अभिलेखागार स्थापित करने हेतु आवश्यक सहायता भी प्रदान की गयी। क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन कार्यालय, सूरतगढ़ के मूल स्वरूप के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची संकलित की गयी। 30 अक्तूबर—4 नवम्बर, 1991 के दौरान अभिलेख सप्ताह समारोह के अवसर पर "भारत में शिक्षा का विकास" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

परिरक्षण एकक ने 1,445 फाइलों की साल्वेन्ट लेमिनेशन द्वारा मरम्मत की, 604 फाइलों का प्रधूमन किया, 1200, शीटों को रक्षणपट्टी की, 903 जुजेस, 100 पत्रिकाओं और 6 फाइलों की सिलाई की और 52 वाल्यूमों की जिल्दसाजी की। राजपूताना रेजिडेंसी रिकार्डस की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य को जारी रखते हुए, रेप्रोग्राफी एकक ने 16,420 उद्भासन तैयार किए।

अभिलेख केन्द्र, पांडिचेरी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मंद्रास की 7,783 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 4,704 फाइलों को नष्ट करने तथा 3,079 फाइलों को रखने की

सिफारिश की गयी। परिणामस्वरूप लगभग 5 लिनियर मीटर शेल्फ स्थान की तथा उनके रखने की लागत पर 4,704 रुपये प्रति वर्ष की बचत हुई। 445 वाल्यूमों, 30 रजिस्टरों, 69 बण्डलों और 30 मानचित्रों एवं योजनाओं की जांच की गयी और उन्हें सुव्यवस्थित किया गया। 85 मानचित्रों एवं योजनाओं की विवरणात्मक सूची, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दस्तावेजों के 554 फोल्डरों की सूची, फ्रांसीसी अभिलेखों के 790 मदों की सामग्री सूची और पुस्तकालय के पुस्तकों की 1,502 सूची कार्ड भी तैयार किए।

परिरक्षण एकक ने टीशू पेपर से 9,910 शीटों की पूर्ण पेस्टीकरण से 5,245 शीटों की और साल्वेंट लेमिनेशन द्वारा 5,378 शीटों की मरम्मत की। इसके अलावा इस एकक ने 23,608 शीटों को अनअम्लीकृत की, 4,814 शीटों की रक्षणपपटी की और 230 वाल्यूमों/फाइलों की सिलाई एवं जिल्दसाजी की, 178 मानचित्रों को मंढा, और 745 वाल्यूमों एवं 75 ताड-पत्र बण्डलों का प्रधूमन किया।

अभिलेख सप्ताह समारोह के अवसर पर 30 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 1991 तक पांडिचेरी राज्य अभिलेखागार के सहयोग से "भारत में शिक्षा का विकास" विषय पर ऐतिहासिक दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी लगायी गयी।

परिशिष्ट 1

सरकारी अभिकरणों से प्राप्त पूछताछ

क्रम सं०	अभिकरण	पूछताछ का विषय	कैफियत
1	2	3	4
1.	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।	1 सर गिरजा शंकर वाजपेयी 2 ईरान के भारत के साथ संबंध	सूचना भेज दी गई। —वही—
2.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	निम्नलिखित के संबंध में सूचना : 1 मल्लापट्टम संग्राम। 2 पुन्नापरा वायलर संग्राम 1946 3 कोचीन पुलिस हड़ताल 4 मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल। 5 गंगादीन फिल्म सूटिंग केस 6 भारत सरकार और जयपुर के महाराजा सर सवाई मान सिंह बहादुर के बीच हुए समझौते से संबंधित गिरवी रखे पत्र।	—वही— —वही— —वही— —वही— —वही— —वही—
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली।	1 निजाम के वंश जवाहरात से संबंधित भूतपूर्व निजाम मीर उस्मान अली खान एवं हैदराबाद के मिलिट्री गवर्नर मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के बीच हुए पत्राचार।	—वही—

2965NAI/92—3

1	2	3	4
		2. अंगोला अफ्रीका में पूर्व पुर्तगाली कालोनी के संबंध में अभिलेख।	सूचना भेज दी गई।
4.	योजना मंत्रालय, सांख्यिकीय विभाग, नई दिल्ली।	प्रो० पी०सी० महालनोबिस— मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार।	—वही—
5.	सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पूणे (महाराष्ट्र)।	प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों के दौरान सैनिकों द्वारा की गई सेवायें।	—वही—
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली।	1 रूस के संबंध में दस्तावेज, 1830–1957 2 एडविन ल्यूटीन्स द्वारा प्रस्तुत नई दिल्ली की रूप रेखा (1912)	—वही—
7.	भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।	1858 में भारत सरकार के महालेखाकार की नियुक्ति करते हुए रानी विक्टोरिया द्वारा जारी पेटेन्ट पत्र।	—वही—
8.	गृह विभाग, मणिपुर सरकार, इम्फाल (मणिपुर)	मणिपुर से संबंधित पुराने दस्तावेज, छायाचित्र एवं मानचित्र।	—वही—
9.	राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर (राजस्थान)	भूतपूर्व रियासत अजमेर–मारवाडा की लैण्ड सैटलमेंट रिपोर्टस, 1820–1821, 1926–1843 व 1850	—वही—

1	2	3	4
10.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	निम्नलिखित के संबंध में सूचना—	सूचना उपलब्ध नहीं।
		1 नेशनल फ्लैग कमेटी के कार्य-वृत्त, 1941।	
		2 ट्रावनकोर के पूर्व राज्य में सरकार के विरूद्ध जन आन्दोलन 1938–47	—वही—
		3 श्री काशी नाथ खारो की जेल यातना–1942	—वही—
11.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।	उन सरकारी अधिकारी, जो पूर्व पुर्तगाली सेवा से गोआ प्रशासन में शामिल हुए, की सेवा शर्तों से संबंधित 1976 का पत्र।	—वही—
12.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।	राज्य सूची से समवर्ती सूची में "सम्पत्ति के अधिग्रहण एवं पुर्नअधिग्रहण से संबंधित परि-विष्टियों के स्थानान्तरण के संबंध में। मंत्रिमंडल टिप्पणी एवं निर्णय।	—वही—
13.	उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली	1950 में तकनीकी विकास महा-निदेशालय के निर्माण से संबंधित संकल्प।	—वही—
14.	सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	निम्नलिखित के संबंध में पुराने अभिलेखों का रख-रखाव करने वाला संगठन :—	
		1 "क" बटालियन सिंधिया का घुड़सवार तोपखाना।	—वही—

1	2	3	4
		2 1/119, पैदल सेना	सूचना उपलब्ध नहीं।
		3 5 तोपखाना ग्वालियर	—वही—
		4 14/12 पंजाब रेजिमेंट	—वही—
		5 पूर्व स्टेट्स फोर्स ओर्छा (अनियमित सेना)	—वही—
		6 30 लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दल।	—वही—
		7 पूर्व तूकोजी राव सेना।	—वही—
		8 10/12 पंजाब रेजिमेंट	—वही—
		9 4 इण्डियन गैरिसन कम्पनी	—वही—
		10 1 रसाला पटियाला।	—वही—
		11 15 इंडियन कोड 11 एपी पोस्ट।	—वही—
		12 द्वितीय बटालियन-इन्दौर पैदल सेना।	—वही—
		13 ऊंट तोपखाना, बीकानेर	—वही—
		14 15/9 पंजाब एवं 25/13 पंजाब	—वही—
		15 दीवान स्टेट सेना	—वही—
		16 19 पैदल सेना एवं पहली रेजिमेंट एटीपीडी जलंधर कैन्ट।	—वही—
		17 1 बटालियन एस ए एफ लसकर।	—वही—
		18 9 पंजाब एवं 38 लैण्ड कोर	—वही—
		19 21 मेडिकल तोपखाना, शाही तोपखाना।	—वही—

1	2	3	4
		20 शाही तोपखाना डिपो त्रिमुल घेरी।	सूचना उपलब्ध नहीं।
		21 इन्दौर स्टेट घुड़सवार सेना (एम.ओ.वी.सी.)	—वही—
		22 नं० 1 डिटैचमेंट आर यूनिट (एम ई 90) सेना 136 एसइएसी	—वही—
		23 7 पंजाब।	—वही—
		24 तवन कम्पनी धौलपुर (3री कम्पनी)	—वही—
		25 परमजीत पैदल सेना	—वही—
15.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली।	पुणे में मुस्लिम सन्त सुभान शाह का दरगाह।	—वही—
16.	सेन्ट्रल इण्डिया होर्स, मार्फत 56 एपीओ	द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सेन्ट्रल इंण्डिया होर्स रेजिमेंट में हताहतों का विवरण।	—वही—
17.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली।	1947 में स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय की स्थापना।	—वही—
18.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तर प्रदेश)	1962 में यू.एस.ए. के राजदूत श्री वी.के. नेहरू की प्रेस कांफ्रेंस।	—वही—
19.	पंजाब रेजिमेंट, अभिलेख कार्यालय, रामगढ़ केन्ट, (बिहार)।	अवैतनिक सूबेदार अर्जन सिंह की पेंशन से संबंधित पटियाला स्टेट फोर्सेस आर्मी आदेश संख्या 93/45।	—वही—

परिशिष्ट-1क

व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओं से प्राप्त पूछताछ

क्र.सं.	अभिकरण	पूछताछ का विषय	कैफियत
1	2	3	4
1.	श्री ए. पी. कोलमैन, कैण्डल फोर्ट, हर्स्ट, विमिनिस्टर, दूरेस्ट, (यू के.)	1818 से पहले सर डेविड ओचटरलोनी का जीवन एवं कार्य ।	सूचना भेज दी गई
2.	श्री डी. एस. चड्ढा, रिवोली थियेटर मेरठ कैंटोनमेंट, (उत्तर प्रदेश)	मेरठ छावनी का निर्माण	—वही—
3.	श्रीमती गीता मुखर्जी, ए/10, शांति नगर, कानपुर कैंटोनमेंट, (उत्तर प्रदेश)	शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, 1946 में भाग लेने के लिए श्री अमीय कुमार, नेवल रैटर का निष्कासन	—वही—
4.	श्री होवसेप एन सेफेरियन, ए-153, न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी, नई दिल्ली,	सेंट जार्ज सिंगापुर के गिरजाघर की भूमि का स्वामित्व ।	—वही—
5.	श्री इनायत अली खां, प्लाट नं. 202, जल्लू पुरा, जयपुर (राजस्थान)	टौंक के राजकुमार अब्दुल करीम खां, 1834	—वही—

1	2	3	4
6.	प्रो. के. मजूमदार, इतिहास विभाग, विश्वविद्यालय परिसर, अमरावती रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)	1860 में अपनाई गई भारत सरकार की अभिलेख वर्गीकरण व्यवस्था एवं ऐसे अभिलेखों की उपलब्धता।	सूचना भेज दी गई
7.	सुश्री कैथलीन टेलर, रामकृष्णन मिशन, गोल पार्क, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	सर जॉन जॉर्ज वुड रोफे, 1904-22	—वही—
8.	श्री लाल बालकरण, 12, केलिस्टे ड्राइव, यूनिट 3, स्कारबोरी, ओनटारिओ एमआईई 2 वी आई (कनाडा)	1905 में गजधर, मैना, और अन्य जो गोयाना में बंधुआ मजदूर के रूप में भारत से जाकर बस गये थे।	—वही—
9.	श्री एल. जयचन्द्र सिंह, मुख्य संपादक "प्रजातंत्र" इम्फाल (मणिपुर)	मणिपुर राज्य के इतिहास के बारे में पुराने दस्तावेज एवं छायाचित्र	—वही—
10.	श्री मनीप बंसल, एन. बी. 263, लक्ष्मी पुरा, जलंधर सिटी, (पंजाब)	मुस्लिग लीग के संबंध में अभिलेख।	—वही—
11.	श्री मुक्तेश्वर सिंह सदस्य लोक सेवा आयोग, इंदौर (मध्य प्रदेश)	भारत में लोक सेवा आयोग, 1854-1935	—वही—

1	2	3	4
12.	श्री निगेल हेकिन, ब्रिटिश हाई कमीशन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।	ईस्ट इंडिया कंपनी का कोट ऑफ आर्मस अथवा क्रिल्ला।	सूचना भेज दी गई
13.	श्री एन. जी. श्रीवे, 20 मैलट्रावर्स स्ट्रीट, अरुण्डेल, वेस्ट सूसेक्स, (यु. के.)	वाल्टर रेनहार्ड, बेगम समरू डेविड ओचटरलोनी एवं डाइक सम्रे।	—वही—
14.	श्री नसीरुद्दीन अहमद, 15, रोड नं. 6, सैक्टर-3 उत्तर ढाका 1230 (बंगला देश)	भारतीय संविधान की फोटोलियोग्राफी प्रति।	—वही—
15.	श्री पीटर पाई लोके, जनरल मैनेजर, ताइसेई स्टैम्पस एंड क्वाइन्स, रिवरवेली रोड, ओ 1-33 लिआंग कोर्ट, सिंगापुर-0617	मलेशिया एवं सिंगापुर की कागज मुद्रा।	—वही—
16.	श्री पुरुषोत्तम राव, के, 27/364, गायत्री नगर, दूसरी लाइन, नेलोर, (आंध्र प्रदेश)	1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में भाग लेने हेतु के. पुरुषोत्तम राव एवं 12 अन्य का निष्कासन।	—वही—
17.	श्री रंजन चक्रवर्ती, इतिहास प्रवक्ता, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।	1. वूचानन हेमिलटन, कैम्पबैल, हेनरी एलिट, मैकनाव एवं मूरक्राफ्ट के निजी संग्रह।	—वही—

1	2	3	4
		2 बंगाल में किसी यूरोपीय जिला अधिकारी के निजी कागज-पत्र, 1800-1860	सूचना भेज दी गई
18.	रेजिडेंट मैनेजर, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लि., जीवनतारा बिल्डिंग 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली।	भारत में वाहन निर्माण से संबंधित दिनांक 31 मई, 1953 का सरकारी संकल्प।	—वही—
19.	श्री एस. एल. सूरी, चेअरमैन, यूरेशिया इंटरनेशनल इंजीनियर्स एंड मार्केटिंग कंसलटेंट्स, 116, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली।	सूबेदार मेजर हरनाम सिंह 56वें सिख पंजाबी को ब्रिटिश भारत द्वारा दिए गए प्रशंसा पत्र के आदेश की प्रति।	—वही—
20.	श्री शेर सिंह, फ्लैट नं. 32, 247/1, मिंटो पार्क अलीपुर—कलकत्ता (पं. बंगाल)	जनवरी, 1857 से अपनी मृत्यु तक फैजाबाद एवं अयोध्या में अहमद उल्लाह शाह (उर्फ सिकन्दरशाह) की गतिविधियां।	—वही—
21.	श्री स्टैनले एव, श्री एकेडेमिक वीजीटर, लॉ डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन विश्वविद्यालय, लंदन (यू. के.)	दिसंबर, 1856 में विधायी परिषद में भारतीय दंड संहिता के संबंध में चयन समिति की रिपोर्ट।	—वही—

1	2	3	4
22.	डॉ. एस. एन. चौधरी, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर (उड़ीसा)	भारत में नमक सत्याग्रह, 1930	सूचना भेज दी गई।
23.	प्रो. सतीश चन्द्र, सोसाइटी फॉर इंडियन ओसियन स्टडी, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीनमूर्ति भवन, नई दिल्ली।	1789-1939 के बीच परशिया, मिश्र एवं तुर्की जैसे मध्य पूर्वी देशों में राजनीतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां।	—वही—
24.	श्री विद्या यादव, पुस्तकालय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, केसर बाग, लखनऊ (उ.प्र.)	भारतीय संगीत, नृत्य एवं नाट्य के संबंध में पांडुलिपियां।	—वही—
25.	श्री विमल कौशिक मार्फत डॉ. हरीश पी. कौशिक, अमर सिंह कॉलेज, लखौती, जिला बुलंदशहर (उ.प्र.)	लॉर्ड फैनर ब्रॉक वे : भारतीय साम्राज्यवाद का एक ब्रिटिश शुभ-चिंतक।	—वही—
26.	श्री आत्मा राम शर्मा "अरूण", 559/17, विजय पार्क, मौजपुर, दिल्ली-110053	भारत में आरमीनियाई व्यापारी।	—वही—
27.	श्री ए. के. सेन गुप्ता डी-648, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली।	गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा 1942 में जारी किया गया परि-पत्र जिसमें उन व्यक्तियों की सर-कारी सेवा में प्रवेश पर पावंदी लगायी गयी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।	—वही—

1	2	3	4
28.	चौधरी एम. युसूफ, निवास 941, हवेली आजम खान, बाजार चितली कबर, दिल्ली ।	सेना घुड़सवार महबूब बख्श को सेना कार्ड से सम्मानित ।	सूचना उपलब्ध नहीं
29.	श्री डी. त्रिपाथी, जन संचार एवं पत्रकारिता विभाग, कला एवं विज्ञान पीएसजी कॉलेज, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रसार भारती बिल आदि ।	--वही--
30.	श्री डी. ए. गुडमैन, 12 मालवर्न ग्रोव, कोलफील्ड, विक्टोरिया (आस्ट्रेलिया)	जेम्स मैकडोनाल्ड गुडमैन जिसकी 1900 में मद्रास में मृत्यु हो गयी ।	--वही--
31.	श्री डी. जी. आरडवर्थ, पी. ओ. बाक्स 5209, शांति पथ, चाणक्यपुरी,	रिचर्ड आल्डवर्थ जूनियर जिन्होंने शाही जहाज सेरेना में 1825-1828 तक भारतीय ब्रिटिश नौसेना में सेवा की ।	--वही--
32.	श्री फिजुल आर. ववचुस, 2362, कोविनसा सर्कल, मिस्सीसौगा ओनटारिओ, (कनाडा)	भारतीय प्रवासियों की ब्रिटिश गुई-याना की जल यात्रा, 1850-1920	--वही--
33.	श्री एच. एस. सैनी, प्रधानाचार्य, बूजाचन एस. एस. स्कूल, ईस्ट सिक्किम ।	1. जाति के आधार पर भारत में प्लाटून खड़ी करने के संबंध में 1894 में लार्ड किचनर का प्रस्ताव । 2. 1818 में बम्बई नेटिव इन्फैंट्री की स्थापना ।	--वही--

1	2	3	4
34.	श्रीमती जे. हाले, डाने कॉटेज, साउन्डर्स लेन ग्राश, कैंटवरी, कैंट सीटी 32 वीएक्स, (यू. के.)	उनकी सास, मेरी जस्टीने हाले, 1892-1919	सूचना उपलब्ध नहीं
35.	श्री जे. वरगर, 52, मार्ले रोड, सीटन, एडीलेड, साउथ ग्रास्ट्रेलिया।	तालीकोटा युद्ध का सही स्थल (1565 ईस्वी)	—वही—
36.	श्री जॉनी डूलकू, 2322 वारे स्ट्रीट, एवोर्टसफोर्ड, वी. सी. (कनाडा)	जॉनी डूल्को के दो संबंधी जो डूकू एवं गीडा के नाम से जाने जाते हैं।	—वही—
37.	श्री जॉन जे. बर्न, 15, एसपीनल कलॉज, लीटल हल्टन, वर्सले एम 28 6 जेपी, ग्रेट मानचेस्टर, (यू. के.)	अपनी सौतेली वहन जूलिया बर्नी, भारत में एक स्कूल अध्यापिका।	—वही—
38.	श्री जॉन विलियम रेनर, गौल्डिग, मार्फत न्यूजीलैण्ड दूतावास, सूवा (फिजी)	उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधीक्षक ह्यूबर्ट पर्सी रेनर गोल्डिग, 1919- 20	—वही—
39.	श्री के. पी पोथन, प्रधानाचार्य, इंदौर ईसाई कॉलेज, इंदौर (मध्य प्रदेश)	1887 में इंदौर ईसाई कॉलेज की स्थापना।	—वही—

1	2	3	4
40.	प्रो. कृष्णा जी, अध्यक्ष भारतीय महर्षि वैदिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, महर्षि नगर, जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)	सर हैनरी थॉमस कोलब्रुक द्वारा तैयार किए गए अथर्ववेद की पांडु-लिपियां, टिप्पणियां एवं अनुवाद का निजी संग्रह, 1782-1814।	सूचना उपलब्ध नहीं
41.	श्री लेस पीअर्स, प्रेसीडेंट, दि रॉयल ब्रिटिश लीजन, हार्लो टाउन ब्रांच, काल्ट हैट्च, (यू. के.)	जोसफ सेम्यूअल पैट्टस, जिसका 14 अगस्त, 1911 में किरकी में निधन हो गया था, का समाधि स्थल।	—वही—
42.	श्री एम. एल. अवस्थी डाकघर वृन्दावन, पालमपुर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	1848 में प्रकाशित "शिमला अखबार"	—वही—
43.	सुश्री मर्था एल. टर्नर, इतिहास की प्रोफेसर, जार्जिया कॉलेज, माइलेज-विले, जार्जिया, (यू. एस. ए.)	पोलैन डू विगनन द्वारा जहाज पर कब्जा, 1780-81	—वही—
44.	श्री ओ. पी. सेठी, 297, आरपीएस अपार्ट-मेंट्स, त्रिवेनी (फेज-1) नई दिल्ली।	19वीं शताब्दी के दौरान अटोक पुल के पास रेलवे लाइन का निर्माण	—वही—

1	2	3	4
45.	श्रीमती पी. डेविस, 914, मोनांगथन एवे, ओसवा, ओन्टारिओ एल 1 जे-7सी 3, (कनाडा)	श्रीमती पी. डेविस के परिवार का इतिहास।	सूचना उपलब्ध नहीं
46.	श्री राजेंद्र देव गाजिली, निदेशक, मोरीसस इंस्टीच्यूट, चौसी, पोर्ट लुईस, (मोरीसस)	1875 में मोरीसस में भारतीय अप्रवासियों के उतरने के लिए अप्रवासी घाट स्थल।	—वही—
47.	श्री सदाशिव अथावले, आनंत लक्ष्मी अपार्टमेंट्स, 209/बी-6, नवीं पेठ, पुणे (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र में रामोशीश का विद्रोह, 1820-32	—वही—
48.	श्रीमती शोभना डी. काले, मार्फत श्रीमती अनीता यू. काले, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गणेश मार्किट, डा. अम्बेडकर रोड, नासिक (महाराष्ट्र)	श्री दत्तातरे काशीनाथ काले जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेडिकल कोर में सेवा की।	—वही—
49.	श्री सिसिर कार, 14/3/1, सरी वास, दत्ता लेन, होवरा, (पश्चिम बंगाल)	स्वामी अवहेदानन्द और उनकी प्रतिबंधित पुस्तक इंडिया एंड देअर पीपल	—वही—

1	2	3	4
50.	श्री श्रीनिवास, 26-7-3, पांडा स्ट्रीट, मुरली भवन, विशाखापट्टनम, (आंध्र प्रदेश)	कामिसकोटा गांव, विशाखापट्टनम के भूमि सर्वेक्षण रजिस्टर। (आंध्र प्रदेश)	सूचना उपलब्ध नहीं
51.	श्री वी. ई. वोवेन, 22 लेज रोड, वीवेन-होव, एसैक्स सी ओ 7 9 ईएक्स, (यू. के.)	डब्ल्यू वोवेन थामसन एंड फोक्स क., वक्सर के. एक सहायक, 1866-67	—वही—
52.	श्री रेवाधर वेलवाल, 157, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइन्स, बरेली, (उत्तर प्रदेश)	स्वतंत्रता संग्राम में रेवाधर वेलवाल का योगदान।	—वही—

परिशिष्ट-2

राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों का मूल्यांकन

क्रम सं.	मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय का नाम	सम्मिलित वर्ष	मूल्यांकित फाइलों की संख्या	उन फाइलों की संख्या जिन्हें रखने की सिफारिश की गई	उन फाइलों की संख्या जिन्हें नष्ट किए जाने की सिफारिश की गई
1.	गृह विभाग (पुलिस शाखा)	1873-1943	28,591	18,227	10,364
2.	गृह विभाग (न्यायिक शाखा)	1921-1941	10,142	7,247	2,895

परिशिष्ट-2क

मंत्रालयों आदि में किए गए अभिलेखों का मूल्यांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम	सम्मिलित वर्ष	मूल्यांकित फाइलों की संख्या	उन फाइलों की संख्या जिन्हें रखने की सिफारिश की गई	उन फाइलों की संख्या जिन्हें नष्ट किए जाने की सिफारिश की गई
1.	गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग)	1948–65	5,832	5,397	435
2.	शहरी विकास मंत्रालय	1963–65	1,516	1,033	483
3.	शहरी विकास मंत्रालय, (भूमि एवं विकास कार्यालय)	1912–65	72,561	67,001	5,560
4.	मंत्रिमण्डल सचिवालय	1942–64	61	60	1
5.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास ।	1963–65	7,783	3,079	4,704
6.	महासर्वेक्षक का कार्यालय एवं इसके निदेशालय, देहरादून ।	1900–47	9,631	1,536	8,095

2965 NAI/92—4

परिशिष्ट-3

उन संस्थाओं की सूची जिन्होंने रिप्रोग्राफिक सेवाओं के संबंध में तकनीकी सूचना/परामर्श का लाभ उठाया।

1. शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद।
3. बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
4. हिमाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार, शिमला।
5. मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार, भोपाल।
6. महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, बम्बई।
7. सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
8. संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट, कर्नाटक।
9. ग्राफिक आर्ट सेन्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
11. रिलायंस इण्डस्ट्री लि., पातालगंगा, महाराष्ट्र।

उन संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सूची जिन्होंने अभिलेख, पांडुलिपियों आदि के मरम्मत एवं परिरक्षण में तकनीकी सूचना मांगी।

1. दि इन्सटीच्यूट हॉयल डू पैट्रीमोइन आर्टीटिस्टक, ब्रूसेल्स, बेल्जियम।
2. इटालियन सोसाइटी फार नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग, मोनिटरिंग डाइगनोस्टिक, ब्रेसिया, इटली।
3. भारतीय उच्च आयोग, लूसाका, जाम्बिया।
4. सरकारी अभिलेखागार एवं अभिलेख सेवा, सिओल, कोरिया गणराज्य।
5. वैलकम इन्सटीच्यूट फार दि हिस्ट्री आफ मेडिसन, लन्दन, यू. के.।
6. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. संस्कृति विभाग, नई दिल्ली।
9. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, महाराष्ट्र।
10. बिहार रेजिमेंटल सेन्टर, दानापुर कैन्ट, बिहार।
11. भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली।
12. भाभा केन्द्रीय अनुसंधान, कसौली, उत्तर प्रदेश।
13. केन्द्रीय अभिलेख एवं प्रलेखन केन्द्र, पुणे, महाराष्ट्र।
14. सेन्ट्रल लाइब्रेरी, बम्बई, महाराष्ट्र।
15. जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, मान्डया, कर्नाटक।
16. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली।
17. कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
18. ऐतिहासिक कला संरक्षण, एवं संग्रहालय शास्त्र संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।

19. भारतीय संरक्षण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
20. भारतीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संगठन, नई दिल्ली।
21. राजस्थान अध्ययन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान।
22. इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कार्पोरेशन लि., वड़ौदरा, गुजरात।
23. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।
24. राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली।
25. पंजाव रेजिमेंट अभिलेख केन्द्र, रामगढ़ कैन्ट, विहार।
26. रेल परिवहन संग्रहालय, नई दिल्ली।
27. अभिलेख एवं अनुसंधान पुस्तकालय, अरविन्दो आश्रम, पांडिचेरी।
28. विहार राज्य अभिलेखागार, पटना, विहार।
29. हरियाणा राज्य अभिलेखागार, चण्डीगढ़।
30. महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, वम्वई।
31. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, वीकानेर।
32. तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, मद्रास।
33. पश्चिमी वंगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता।
34. दि अकेडमी आफ इण्डियन न्यूमिसमैटिक्स एंड सिजलोग्राफी, इंदौर मध्य प्रदेश।
35. एशियाटिक सोसाइटी आफ वाम्वे, महाराष्ट्र।
36. जीसस एंड मेरी कालेज, नई दिल्ली।
37. मद्रास साहित्यिक सोसाइटी, मद्रास, तमिलनाडु।
38. ओरियन्टल रीसर्च इन्सटीच्यूट, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।
39. दयालोक प्रकाशन संस्थान, इलाहावाद, उत्तर प्रदेश।
40. टाटा सन्स लि. बम्वई, महाराष्ट्र।
41. श्री ए. एन. सहगल, नई दिल्ली।
42. श्री वी. एन. राजदान, नई दिल्ली।
43. मेजर जनरल के. के. तिवारी, आरोविले, पांडिचेरी।

परिशिष्ट-5

अभिलेखीय अध्ययन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों की सूची, 1990-91

क्र. सं.	नाम	प्राप्तांक (600 में से श्रेणी सहित)	शोध निबंध का विषय
1	2	3	4
1.	श्रीमती एस. के. हमीद	406 (प्रथम श्रेणी)	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, दिसम्बर, 1842 – जुलाई, 1846
2.	श्रीमती वाई. रीमन	404 –वही–	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गर्वनर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक, सूची जनवरी, 1840 – नवम्बर, 1842
3.	एस. सफी	399 –वही–	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गर्वनर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, मार्च, 1839-दिसम्बर, 1839
4.	हेनरी एन. केमोनी	388 (द्वितीय श्रेणी)	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, अप्रैल, 1851 दिसम्बर, 1852

1	2	3	4
5.	एल. आर. गुगवर्दन	385 (द्वितीय श्रेणी)	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, मार्च, 1855-जुलाई, 1855
6.	बादशाह चौबे	374 —वही—	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, नवम्बर, 1837 – जुलाई, 1838
7.	कुमारी जसमोनो साहू	353 —वही—	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक, सूची, अगस्त, 1838–फरवरी, 1839
8.	एडवर्ड सोजर जेलेबो	352 —वही—	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक, सूची, नवम्बर, 1849 – मार्च, 1851
9.	जोसेफ म्बोका रेम्बे	336 —वही—	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, अगस्त, 1855–जनवरी, 1859
10.	एन. के. श्रीवास्तव	335 —वही—	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज)

1	2	3	4
			के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, अगस्त, 1846–जून, 1847
11.	पी. श्रीरामचन्द्रन	335 (द्वितीय श्रेणी)	गृह विभाग, पब्लिक शाखा (गवर्नर जनरल सीरीज) के अभिलेखों की विवरणात्मक सूची, जुलाई, 1847–अक्तूबर, 1849

परिशिष्ट 5–क

अभिलेख प्रशासन में प्रमाण-पत्र – 10वां पाठ्यक्रम

(4 फरवरी – 29 मार्च, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम
1.	वाई. एन. शर्मा	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
2.	कुमारी हिमानी पाण्डे	–वही–
3.	केवल राम मीना	राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर (राजस्थान)
4.	मक्कन लाल	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	कांछीवरदैय्याह	कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, बंगलौर।
6.	एम. वी. कृष्णअप्पा	–वही–

परिशिष्ट 5–ख

अभिलेख प्रशासन में प्रमाण-पत्र–33 वां पाठ्यक्रम

(6 मई–31 मई, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम
1.	गुरुमुख देवनानी	राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कालेज, नागपुर (महाराष्ट्र)
2.	विकास दुबे	प्राच्य निकेतन, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
3.	वी. रामचन्द्र राव	खाद्य विभाग, नई दिल्ली ।
4.	केवल राम मीना	राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर, राजस्थान ।
5.	तलिनोक्छा	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड ।
6.	वाई. पी. शर्मा	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

परिशिष्ट 5—ग

अभिलेख प्रबंध में प्रमाण पत्र--34वां पाठ्यक्रम

(2 दिसम्बर—27 दिसम्बर, 1991)

क्र. स.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम
1.	भवन सिंह	केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2.	डी. पी. अग्रवाल	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, नई दिल्ली
3.	सुरेन्द्र सिंह	—वही—
4.	डी. के. चक्रवर्ती	इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि. कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।
5.	रविन्द्र नाथ सरकार	विकास आयुक्त, लोहा एवं इस्पात, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।
6.	सुव्रता वसु	—वही—
7.	जगमोहन जरेड़ा	राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली ।

परिशिष्ट 5–घ

रिप्रोग्राफी में प्रमाण-पत्र — 23वां पाठ्यक्रम

(1 अप्रैल — 23 मई, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम
1.	ओम प्रकाश	विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
2.	सुभाष सरकार	पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता।
3.	दलीप आर. सावन्त	महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, बम्बई।

रिप्रोग्राफी में प्रमाण-पत्र —— 24वां पाठ्यक्रम

(12 सितम्बर —— 6 नवम्बर, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम/प्राइवेट अभ्यर्थी
1.	कु. अनिथा अगस्टाइन	न्यू ईरा स्कूल, जामिया नगर, नई दिल्ली।
2.	डी. आर. खोसला	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
3.	रमिन्द्र पाल सिंह	गुरुद्वारा साहिब अहलूवालियन, पटियाला, पंजाब।
4.	शिव सिंधु चौवेसे	प्राइवेट अभ्यर्थी।

अभिलेखों की परिचर्या एवं प्रतिसंस्कार में प्रमाण-पत्र –– 33वां पाठ्यक्रम

(1 मई –– 25 जून, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण का नाम
1.	नन्दादुलाल मुखर्जी	शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
2.	रामचन्द्र	आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली।
3.	बालकृष्ण महादेव गवाली	महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, बम्बई।
4.	रमेश भगवान कुमकर	–वही–
5.	पायो अवेल डी सौजा	अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, गोआ सरकार।
6.	अनिल सैंगर	गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली।

अभिलेखों की परिचर्या एवं प्रतिसंस्कार में प्रमाण पत्र—33वां पाठ्यक्रम
(16 सितम्बर—8 नवम्बर, 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण
1.	वयाना	कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, बंगलौर।
2.	आर. एस. राणा	गन्ना विकास निदेशालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
3.	एम. डी. शानूर अली	नारायणी हैंडिग हिस्टोरिकल इन्सटीच्यूट, गुवाहाटी, असम।

पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, एवं अभिलेखों की देखभाल एवं संरक्षण में प्रमाण-पत्र 24वां पाठ्यक्रम

(8 जुलाई,—30 अगस्त 1991)

क्र. सं.	नाम	प्रायोजक अभिकरण
1.	विकास दुबे	प्राच्य निकेतन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2.	राकेश कुमार जैन	दि जैना प्रेस, दिल्ली।
3.	श्रीमती एन. चित्रा देवी	मणिपुर राज्य अभिलेखागार, इम्फाल।
4.	श्रीमती अनिता राय	दि एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, प. बंगाल।
5.	श्रीमती मोली बनर्जी (भौमिक)	—वही—
6.	मोहम्मद मसूद अली	आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद।
7.	विनोद रावत	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली।

परिशिष्ट 5-झ

पुस्तकों पाण्डुलिपियों एवं अभिलेखों की देखभाल एवं संरक्षण में प्रमाण-पत्र

25वां पाठ्यक्रम

(प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए केवल)
(11 नवम्बर —3 जनवरी, 1992)

क. सं.	नाम
1.	कुमारी मीनू महाजन
2.	कुमारी मोनिका शर्मा
3.	श्रीमती ककाली घोष
4.	राकेश शर्मा
5.	सुनील सत्यार्थी
6.	कुमारी नीता गौड़िया
7.	संदीप ठाकुर
8.	ललित कुमार पाठक

प्र.नि.नि.रो.--2935 एन ए आई/92 जै एफ ·3-11-93—250.

राष्ट्रीय अभिलेखागार सौध भवन का दृश्य

G-1827
6-4-95

Library IIAS, Shimla
H 913.03 N 213.91 R
G1827

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित
1993